**राजस्व आदेश पत्रक**

# कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुंगेली, जिला मुंगेली (छत्तीसगढ़)

| (1) | (2) | (3) |
|---|---|---|
| 25.04.2025 | • प्रकरण प्रस्तुत।<br>• प्रकरण तहसीलदार मुंगेली से प्रतिवेदन सहित प्राप्त।<br>• प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इसप्रकार है कि आवेदक पन्ना जागड़े पिता राजाराम, जाति सतनामी, निवासी डोगरियाखुर्द, तहसील पण्डरिया, जिला कबीरधाम (छ.ग.) के द्वारा ग्राम रामाकापा की भूमि ख.नं. 64/3 रकबा 0.036हे पर स्थित पीपल वृक्ष की कटाई की अनुमति दिये जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया गया।<br>• प्रकरण की जॉच तहसीलदार मुंगेली से करायी गयी। तहसीलदार मुंगेली के द्वारा अपने प्रतिवेदन मे प्रतिवेदित किया गया कि ग्राम रामाकापा स्थित भूमि ख.नं. 64/3 रकबा 0.036हे पर लगे पीपल वृक्ष मे नये कोमले आने से वृक्ष की काटे जाने की अनुमति प्रदाय दिया जाना उचित प्रतीत नही होता।<br>• तहसीलदार मुंगेली के प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण मे संलग्न दस्तावेजो का परिशीलन किया गया। प्रकरण मे संलग्न हल्का पटवारी तथा राजस्व निरीक्षक के संयुक्त प्रतिवेदन मे पीपल वृक्ष सूखा नही होने, वृक्ष मे नये पत्ते आने तथा वृक्ष काटे की अनुमति दिये जाने का कोई औचित्य नही लेख किया गया।<br>• पीपल वृक्ष सूखा नही होने के कारण तहसीलदार मुंगेली के प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।<br><br>(हस्ताक्षर)<br>**अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)**<br>**मुंगेली (छत्तीसगढ़)** | |